5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी नि. -123-I-16

पहलवान सिंह पुत्र रामचरण आयु 54 वर्ष

व्यवसाय- कृषि निवासी - ग्राम विलवाडिया

तहसील बडोदा जिला श्योपुर -- निगरानीकर्ता

बनाम

1- रामसिया पत्नी पहलवान

2- ममता पुत्री पहलवान

3- मनीषा पुत्री पहलवान नाबालिग सरपरस्त मा

रामसिया निवासीगण ग्रामकिरणी बोडा जिला

श्योपुर -- अनावेदकगण

4- भारोसी पुत्नी पहलवान

5- रामउच्छव पुत्र पहलवान नाबालिग सरपरस्त मा

6- सभी निवासीगण विलवाडिया तहसील बडोदा

जिला श्योपुर

-- अनावेदक कृ 4लगायत 5 प्रोफार्मा पक्षकार

-- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 18•12•2015 न्यायालय तहसीलदार तहसील बडोदा जिलाश्योपुर के प्रकरणक्रमांक 5/14-15 / अ-27 व उन्वान रामसिया आदि बनाम पहलवान सिंह व अन्य से दुखित होकर। --

माननीयन्यायालय

R.B.

पेश द्वारा श्री. शर्मा अभि० दि. 8-1-16 को
8-1-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.B.
आर.बी. शर्मा एड.
8-1-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 123–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
7 .2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील बडोदा जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 05/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18/12/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **कलेक्टर जिला श्योपुर**	